फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पिता श्री नारायण लाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला, केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 89/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ. 1( ) सू0अ0,05/प्र. अपील/2024/849–850 दिनांक 05.01.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट का आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत ऑनलाईन पोर्टल से दिनांक 03.11.2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के सम्पर्क अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग को पत्रांक 768 दिनांक 06.11.2023 से पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 156 दिनांक 30.11.2023 सेअवगत कराया कि बिन्दु संख्या 01 से 04 तक की सूचना " 01 जनवरी 2019 से 31 अक्टूम्बर 2023 तक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजसमन्द की समस्त प्रकार की शिकायते जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय में प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में सूचना उपलब्ध करावें " उक्त सूचना में प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई उसके संबंध में आरटीआई की धारा 2 एच व 6 (1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियॉं अंकित नही की गई। अधिनियमानुसार सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर, तथ्यों को खोजकर प्रार्थी को उपलब्ध कराना विधिनुमत नही हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7(9) में सूचनाओं को खोजकर देना अदेय हैं। आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल के पत्रांक 9608262032 दिनांक 01.12.2023 से ऑनलाईन पोर्टल पर प्रार्थी को प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग के पत्रांक की प्रति अपलोड कर प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये ऑनलाइन प्रेषित कर, प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त सूचना के सबंध में स्पष्ठ ब्यौरा	

(2)

व विशिष्टियों का अंकंन करने हेतु सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अस्पष्ठ तथा विशिष्टियों का अंकंन नही होने एवं इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने के बाद भी स्पष्ठ ब्यौरा व विशिष्टियों का अंकंन नही करने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद